संख्या–1869/बीस–4/2016–3(7)/2011

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 08 ~~फरवरी~~ मार्च, 2016

विषय– राज्य निर्माण आन्दोलन में प्रतिभाग करने वाले सेना अथवा अन्य किसी केन्द्रीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर पेन्शन प्राप्त करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित शासन के पत्र संख्या–1177/बीस–4/2012–3(17)/2010, दिनांक 23.08.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राज्य सरकार से वेतन/पेन्शन प्राप्त व्यक्तियों को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पेन्शन दिये जाने के अनौचित्य से अवगत कराया गया है।

2– तद्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजकीय सेवा में वेतन/पेन्शन प्राप्त व्यक्तियों के अतिरिक्त सेना अथवा अन्य किसी केन्द्रीय सेवा के अन्तर्गत वेतन/पेन्शन प्राप्त व्यक्तियों को भी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पेन्शन स्वीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतः यदि इस प्रकार के पूर्व प्रकरण आपके संज्ञान में हों तो कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं भविष्य में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पेन्शन स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने से पूर्व उल्लिखित अनौचित्य का ध्यान रखा जाए।

भवदीय,

(विनोद शर्मा) 8.3.2016
सचिव

O/C.

COM-2